रजिस्ट्री सं० डी०एल०--33004/96 REGD. NO. D.L.--33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 238] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 9 , 1996/चैत्र 20, 1918
No. 238] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 9, 1996/CHAITRA 20, 1918

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1996

का० आ० 293 (अ).—केन्द्रीय सरकार, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 3 अप्रैल 1996 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसका उक्त अधिनियम के अध्याय III के उपबंध हरियाणा राज्य में प्रवृत्त होंगे ।

[फा० सं० 6(1)(7)/95-नलसा]

डा० वी० के० अग्रवाल, अपर सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd April, 1996

S.O. 293 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987), the Central Government hereby appoints 3rd April, 1996 as the date on which the provisions of Chapter III of the said Act shall come into force in the State of Haryana.

[F. No. 6(1)(7)/95-NALSA]

DR. V.K. AGARWAL, Addl. Secy.

917 GI/96

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1996